न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक २८७२/दो/13 विरूध्द आदेश दिनांक २०/६/२०१३ पारित व्दारा अपर कमिश्नर,रीवा संभाग, रीवा म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक ७७/अपील/०९-१०

१ मुस0 चन्द्रवति पति हिन्छलाल राम
२ मंगलेश्वर पिता हिन्छलाल राम
३ रमाकांत पाण्डेय पिता हिन्छलाल राम
४ श्रीकांत पाण्डेय पिता हिन्छलाल राम
५ रामनिवास पाण्डेय पिता हिन्छलाल राम
६ अशोक पाण्डेय पिता हिन्छलाल राम
सभी निवासी ग्राम सेमरी, तहसील सिहावल
ज़िला सीधी म0 प्र0 - आवेदकगण

- विरूध्द -

रामबहोर पाण्डेय तनय बद्रीराम पाण्डेय
निवासी ग्राम सेमरी, तहसील सिहावल जिला सीधी म0 प्र0

- अनावेदक

श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह,अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कुबेर प्रसाद अगिनहोत्री, अभिभाषक, अनावेदक

आ दे श

निगरानी २८७२-दो/13

(आज दिनांक 10.3.2014 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र २८७२/दो/१३ रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा की धारा ५० के अंतर्गत अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्र क्र ७७/अपील/२००९-१० में पारित आदेश दि २०-६-१३ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

२ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

निगराकारगण के पति एवं पिता हिन्छलाल द्वारा संहिता की धारा ८९ के अंतर्गत तहसीलदार सिंहावल को प्रदत्त आवेदन पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण कराकर प्रस्ताव के आधार पर, गैरनिगराकार की आपत्ती पर हिन्छ़लाल का जवाब लेते हुए, उनके प्र क्र ५९/अ-७४/०४-०५ में आदेश दि २३-३-०६ पारित किया. इस पर गैरनिगराकार ने अनु अधि के समक्ष अपील की, जिसे अनु अधि ने प्र क्र २८/अपील/०६-०७ में पारित आदेश दि २१-८-०९ से ख़ारिज किया. इसके विरुद्ध गैरनिगराकार ने अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील की, जिसमे उन्होंने आक्षेपित आदेश से अनु अधि और तहसीलदार, दोनों के आदेश निरस्त कर दिए. इसके विरुद्ध रा मं में यह निगरानी दायर हुई.

३ प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं ने लिखित तर्क दिए जो अभिलेख में अवस्थित हैं. प्रकरण के समस्त अभिलेखों, मेमोज़ आदि के साथ मैं इन्हें भी विचार में ले रहा हूँ, किन्तु इनके बिन्दुओं का यहाँ पुनरुद्धरण नहीं कर रहा हूँ.

४ तर्कों एवं अभिलेखों के प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि तहसीलदार का आदेश एक बोलता हुआ आदेश नहीं है और अनु अधि के आदेश में भी कोई विवेचना नहीं है, बिलकुल सही है.

तहसीलदार ने अपने आदेश दि २३-३-०६ में (१) केवल यह लिखा कि "रामबहोर द्वारा आपटते पेश की गयी जिसकी प्रति आवेदक को दी गयी, जवाब आवेदक द्वारा दिया गया, संलग्न प्रकरण है. मौका जांच किया गया. राजस्व निरीक्षक का प्रस्तावित प्रस्ताव प्रमाणित होता है तथा आपत्ती निराधार होने से निरस्तीयोग्य है". उन्होंने न तो आपत्ती का, न उसपर प्राप्त उत्तर का, न प्रतिवेदन के बिन्दुओं आदि का कोई विवरण अपने आदेश में स्पष्ट किया, न यह लिखा की वे आपत्ती को क्यों निराधार मां रहे हैं और प्रतिवेदन को क्यों सही मां रहे हैं. उन्होंने सीधे अपना निर्णय लिख दिया.

अनु अधि ने भी अपने आदेश दि २१-८-०९ में केवल यह लिखा कि उनके पाए अनुसार तहसीलदार ने 'उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया है, और आपत्ती का निराकरण करने के बाद गुण-दोषों पर विधि पूर्ण आदेश पारित किया है'. उन्होंने सबसे पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया कि तहसीलदार का आदेश पूर्णतः मूक स्वरुप का है. दुसरे उन्होंने भी, स्वयं प्रथम अपीलीय न्यायालय होने के बावजूद, प्रकरण के गुण-दोषों आदि का कोई परीक्षण, विवेचना आदि नहीं की. अतः उनका यह आदेश भी, तहसीलदार के आदेश की ही तरह, एक अत्यंत निम्न कोटि का आदेश ही है.

इन आदेशों के अवलोकन से मैं यह टिप्पणी करने के लिए स्वयं को बाध्य पाता हूँ कि यह अत्यंत अफ़सोस एवं आपत्ती का विषय है कि हमारे प्रदेश में कुछ राजस्व न्यायालय इस प्रकार के मूक आदेश पारित कर के अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं, जिनकी वजह से पक्षकार संतुष्ट नहीं हो पाते और न्यायालयीन वाद आगे बढ़ता रहता है. यदि तहसीलदार ने सर्वप्रथम, और उसके बाद प्रथम अपीलीय

न्यायालय ने बोलते स्वरुप के विवेचना युक्त आदेश पारित किये होते तो संभवतः पक्षकारों को रा मं तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ी होती.

अपर आयुक्त ने इन दोनों आदेशों को निरस्त कर के सही ही किया है.

अतः, मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि २०-६-१३ यथावत रखते हुए यह निगरानी ख़ारिज करता हूँ.

साथ ही, तहसीलदार सिम्हावल को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायांलय का विषयांकित प्र क्र ५९/अ-७४/०४-०५ पुंह खोलें और उभयपक्ष को पुनः योग्य सुनवाई का अवसर देते हुए, अभिलेखों, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि के आधार पर, स्पष्ट एवं बोलते स्वरुप का नवीन आदेश नए सिरे इस प्रकरण में, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ४ माह के भीतर, पारित करें.
पक्षकारगण, उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम १५ दिवस के भीतर या तहसीलदार द्वारा उन्हें सूचित की जाने वाली दिनांक को, जो भी पहले हो, तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवश्यक पक्ष-समर्थन करें.

आदेश पारित.

पक्षकार एवं तहसीलदार, सिम्हावल सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर